पत्रांक : 434/उ.सू.आ./2013
दिनांक :14/01/2013

प्रिय

विभिन्न राजकीय समारोह में यह देखने में आया है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के लिए प्रोटोकॉल व्यवस्था में उनके पद के अनुरूप व्यवस्था नहीं की जाती है जिससे कई अवसरों पर असमंजस की स्थिति पैदा हुयी है तथा अधोहस्ताक्षरी एवं राज्य सूचना आयुक्तों के लिए ऐसे समारोहों में आमंत्रित किये जाने पर उपस्थित होने की दुविधा होती है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त को भारत निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों को मुख्य सचिव के समकक्ष रखा गया है. उनके अपने अधिनियम में भारत निर्वाचन आयुक्त की समकक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से है. अतः इस प्रकार मुख्य सूचना आयुक्त की समकक्षता भी उसी पद से हो जाती है क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना का अधिकार अधिनियम में भारत निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष रखा गया है.

3. आपसे अनुरोध है कि भविष्य में राजकीय समारोहों तथा अन्य औपचारिक अवसरों पर प्रोटोकॉल व्यवस्था करते समय उक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुये मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के पद की गरिमा के अनुरूप ही व्यवस्था करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, प्रोटोकॉल एवं सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त